GOVERNMENT MOTION FOR CONSIDERATION OF THE REPORTS OF THE COMMISSIONER AND COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRD3ES—Contd.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, कल मैं चर्चा कर रहा था शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स जातियों की समस्याएं आर्थिक भी हैं; सामाजिक भी हैं; राजनीतिक भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं और इसी दृष्टि से इन समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष कुमार साहू) पीठासीन हुए ।]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करना, चुनाव कमिशन में चेयरमैन बना देने से मेम्बर बना देने से यह जो शिकवे शिकायतें हैं अपने आप दूर हो सकती हैं यह किया जाए तो मैं समझता हूं कि इन लोगों को कुछ सन्तोष प्राप्त हो सकता है । कल कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि वोट का अधिकार गरीबों को दिया है, यह बात सच है कि सब का वोट बराबर है कोई गरीब हो, अमीर हो लेकिन इस समय यह जरूर सोचना पड़ेगा कि बूथ केपचरिंग के वक्त गरीबों को वोट डालने से रोका जाता है, वोड डालने में दिक्कत किस को आती है, यह भी ऐसे सवाल है, जिन पर हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। यह अधिकार वोट का अधिकार भी गरीबों से जबरदस्ती छीन लिया जाता है । कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जिनका वोट दर्ज ही नहीं है । ऐसे केस आपको काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश , बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में मिल जाएंगे जहां जनजातियों के वोट दर्ज नहीं हैं तो फिर उनको कोई ताकत वोट देने की या वोट से कोई बात मनवाने का अधिकार नहीं है । अंडमान-निकोबार आदि जंगलों में तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो आदमी को देख कर भाग जाती हैं। पहले खादी ग्रामोद्योग की तरफ से उनको सम्पर्क में लाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी, मैं समझता हूं कि उसकी क्या प्रगति हुई, है आगे, यह भी जरा सोचने का विषय है ।

जंगली जातियों में भैंगा एक जाति है जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार के क्षेत्रों में पाई जाती है । इसी तरह भील और गोण्ड हैं, पानिक हैं, बहुत सी जंगली जातियां ऐसी हैं जिनको अभी रहने में दिक्कत है । आपके बन विभाग अधिकारियों कर्मचारियों ने उनको बनों से निकाल दिया है जबकि ये हजारों साल से जंगलों में रह कर उसी के आदी हो गये थे, वहीं से जीविका उपार्जन करते थे । उनको उजाड़ने के बाद बसाने की व्यवस्था नहीं की है । यह सब होना चाहिए । कुछ जातियां ऐसी हैं जो शिडयूल्ड ट्राइब में आना चाहती हैं जिनका कैरेक्टर वैसा ही है जैसे और जनजातियों का है। मैं एक ऐसी जाति की आज चर्चा करना चाहूंगा कि जो कौम से बढ़कर देश को समझती है, जो धर्म से बढ़कर देश को समझती रही है वह है हमारे गूजर भाई, जो हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, काश्मीर में हैं । पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने सन् 60 में चूहड़पुर, देहरादून उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम बिकासनगर हो गया है, एक बहुत बड़ी कान्फरेंस की उसमें जो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे गुलाम मोहम्मद बख्शी साहब वे काश्मीर से आये, परमार साहब हिमाचल प्रदेश से आये, प्रताप सिंह कैरों साहब पंजाब से आये थे, सी० बी० गुप्ता साहब उत्तर प्रदेश से आये और उन्होंने इस समस्या पर कुछ सोचा था । थोड़े दिन चलते फिरते स्कूलों के अध्यापक उनके साथ साथ लगाये गये मगर उसके बाद वह सब खत्म हो गया । इंदिरा जी सन् 1976 में जम्मू नगर में गयी थी और उन्होंने भी कहा कि हम शिडयूल्ड ट्राइब में गुजरों को शरीक करेंगे । ये वे लोग हैं जिन्होंने सन् 1947 में जब कबाइली मजहब का नारा लगाकर, कुरान शरीफ पर हाथ रखवाकर काश्मीर में घुस कर गुलमर्ग तक आ गये थे इनके चौधरी सरदार मोहम्मद

जो अभी एक साल पहले गुजर उन्होंने कबाइलियों का मुकाबला किया अपने हथियारों से बिना पुलिस और फौज के और उनको भगाया ।

हमारे पीर निजामुद्दीन थे जो आजकल मियां बशीर हैं उनके वालिद, सन् 1947 में जब सरदार पटेल काश्मीर जाकर पीर निजामुद्दीन से मिले तब पीर निजामुद्दीन के पोस्टर हवाई जहाज से गिराये गये कि– "हिंद फौजों का साथ दो" और तब कबालियों का तब इन बेचारे गूजरों ने मुकाबला किया । सन् 1965 के युद्ध में हाजीपीर दिलाने वाले मास्टर सैद मुहम्मद जो हिंद फौज जिंदाबाद, शास्त्री जिंदाबाद के नारे लगाकर फौजों से आगे लड़े, जब हाजीपीर लौटा दिया गया तो पाकिस्तान ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसको यह कहकर कि तुम हिंद फौज जिंदाबाद के, नारे लगाते थे, अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, उसके हाथ काटे, पैर काटे, नाक-कान सब निकाल आखिर में गर्दन काट दी तब भी वे हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते गये । उनका पाकिस्तन में मर्डर किया गया ।

सर्वागूजरी ने पाकिस्तानियों को अपने घर में बंद कर दिया कहा कि फौजों से मैं तुम्हें बचाउंगी और अपनी फौजों को पाकिस्तानियों का पता दे दिया तथा उन्हें पकड़वा दिया । हमारे पदमश्री मोहम्मद-दीन एक ग्वाले थे जो गायें चरा रहे थे, जनजाति में है । पदमश्री की उपाधि उनको बाद में मिली । पाकिस्तान के फौजियों ने आकर उनको 50 हजार का लोभ दिया, कहा कि 50 हजार ले जाओ हमें ट्रक लाकर दो और बताओ कि श्री नगर में हवाई अड्डा कहां है, रेडियो स्टेशन कहां है, पावर स्टेशन कहां है । वहां से कहकर चला और आकर दिन फौज से झगड़ता रहा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बताता हूं । उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी । 2–3 दिन तक पुलिस और फौज ने उनकी नहीं सुनी तब गुस्से में आकर मोहम्मदीन ने कहा अगर मेरी बात सच है तो तुमको गोली मारनी चाहिए और झूठ बोलता हूं तो मुझे गोली मारनी चाहिए तब फौज और पुलिस के अफसरों ने सोचा । जाकर देखा कि फौज पड़ी हुई थी । 80 आदमी गये उनमें से 3 बचे थे । ऐसे देशभक्त वे लोग हैं । गुलामदीन, जिसने पूंछ का पावर स्टेशन बचाया हमारे जुम्मा सिविलयन थे मरने के बाद कर्नल की उपाधि दी गई । यह मैं नहीं बोलता । हमारे जनरल कुन्दन सिंह थे इंदिरा जी खुद राजौरी के मिलिट्री मेस में गयी, तो उन्होंने कहा हमारी फौजों से आगे ये यहां के गूजर लोग लड़ते हैं, और उन रास्तों में फौजों से आगे जाते थे । उनकी देशभक्ति आज उनके लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है । राजेन्द्र कुमारी जी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हमारे संगठन का तजुर्बा है. आप सरकार में भी हैं । पदमश्री मोहम्मददीन को जो अवार्ड मिला था बागीचा वह उससे छीन लिया गया है, अक्वायर करके दूसरे को दे दिया गया । वह कई बार गोलियों का शिकार हो गया ।

आज जमायते इस्लामी काश्मीर में क्या कर रहे हैं । मैं उन सारी बातों को यहां कहने के लिए मजबूर हूं । वे बताने की बातें नहीं हैं लेकिन अगर आज गूजरों की देशभक्ति अभिशाप बन गयी है तो देश को बाद में बचाने वाले नजदीक नहीं आयेंगे । आज उनको हिमाचल के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है शेड्यूल्ड-ट्राइब्ज में शरीक करो । जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने अखबार में भी पढ़ा है, वीरभद्र सिंह जी से भी बात हुई है, कश्मीर से भी कई बार बताया गया, मैं कह नहीं सकता, कश्मीर गवर्नमेंट ने भी लिखा है शेड्यूल्ड-ट्राइब्ज में गूजरों को करो । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन्दिरा जी ने भी 13 करोड़ रुपया इनके बच्चों की एजुकेशन के लिये, जिससे कुछ छात्रावास बने, पुंछ में हैं, जम्मू में हैं, बारामूला में हैं, अनेक जगहों में छात्रावास बने हैं । इन्दिरा जी उनको समझ गयी थीं, उनको मदद भी करती थीं । हमारे चौधरी अब्दुल गनी मेंढर के रहने वाले थे, उनको तेरहई के सिलसिले में मैं वहां गया, फौजी अफसर भी आए हुए थे, नदं पार करके गए, इतनी मोहब्बत उनकी फौजों के साथ थी, पाकिस्तान भी उनको मारता

[श्री राम चन्द्र विकल]

कश्मीर के लोग भी मारते हैं, हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट सुनती नहीं । तो यह आखिर एक जनजाति में आने की मांग कितने दिनों से अटकी हुई है । मैं फिर कहूंगा ऐसे देशभक्तों को जनजाति में शरीक कीजिए । ऐसी और भी जातियां हैं, जैसे घुमन्तू हैं, उनकी शिक्षा का मामला है, उनके बच्चों की तालीम का मामला है, उनके स्वास्थ्य का मामला है, इस ओर देखना है । जब नदियां चढ़ती हैं, जंगलों में रास्ते नहीं होते तो उधर वन विभाग के अफसरों की ज्यादतियां उन पर होती हैं, बेचारे परेशान होते हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह शेड्यूल्ड-कास्ट, ट्राइब्स जो पिछड़ा वर्ग है और जनजातियों की एक बहुत बड़ी तादाद है इस देश में, यह सब कमाने वाले हैं और जब कमाने वालों को परेशानी होगी, साधन भी नहीं मिलेगा, सम्मान भी उनको नहीं मिलेगा, तो उनको ठेस लगती है। यह धर्म-परिवर्तन गुस्से में होता है । लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, मेरे पास ऐसे सबूत भी हैं कि धर्म-परिवर्तन लोभ से भी होता है, गरीबी के कारण भी होता है ।

आज उपसभापति जी, आसाम की समस्या क्या है । धर्म के नाम पर राजनीति सारे देश में घुसाई जा रही है, आज उसकी व्याख्या का मौका नहीं है । हमारा देश हर तरफ से अंदर से, बाहर से खतरे से घिरा हुआ है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजन और यह जो बेकवर्ड लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाये और जनजातियों में जो जातियां हैं, हमारे इधर मीना लोग हैं राजस्थान में, सब तरह की जनजाति हैं, जिनको सरकार की ओर से सुविधा मिली हैं, उनकी सुविधाओं को बढ़ाया जाय । कई जातियां ऐसी हैं, जिनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं किया जा सकता, उन्हें बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स में लिया जाना चाहिए । फौजों ने भी स्वयं कहा है कि गुजर बिना हथियार के ताकत से लड़ते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं, तो बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स में गुजरों को नौकरी देकर अगर उन्हें हथियार दिये जायें, तो अवश्य देश की रक्षा होगी ?

माननीय, पाकिस्तान के बारे में अभी मैं बरनाला जी का बयान पढ़ रहा था कि सारी ट्रेनिंग होकर आतंकवादियों की पाकिस्तान से आती है और मैंने प्राइम-मिनिस्टर राजीव गांधी जी का बयान भी पढ़ा कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है । जब पाकिस्तान इस तरह से षडयंत्र कर रहा हो हमारे देश के खिलाफ तब सीमाओं पर रहने वाले गुजरों को जो देशभक्ति के लिये अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हों बिना धर्म, मजहब को सोचे हुए, तो उनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए और साथ ही उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध करना चाहिए । वह किस कठिनाई से चल रहे हैं, यह कहने के लिये मैं इस सदन में मजबूर हो रहा हूं कि उनकी रक्षा की जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि यों तो आन्दोलन रिजर्वेशन के खिलाफ चला है । मुझे एक और जानकारी मिली है, जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा राजेन्द्र कुमारी जी से कि कोई आर्थिक आधार पर सर्कुलर गया है, जिसके आधार पर हमारे बहुत से शेड्यूल्ड-कास्ट के लोग आन्दोलन कर रहे हैं यू०पी० में भी और दूसरे प्रांतों में भी । तो क्या कोई ऐसा सर्कुलर गया है, जिसके बारे में भ्रम है कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक होगा . . .

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : ऐसा नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल : कोई नहीं है । तो आप यह कह दें । इसके विरोध में आन्दोलन हो रहे हैं । इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि हमारी गवर्नमेंट, जिसने हमेशा मदद की है इन लोगों की, और मदद की जाय । मैं यह नहीं कहता कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है । लेकिन और भी होना चाहिए । इसके साथ ही देशभक्त लोगों को न ठुकराएं । अगर देशभक्तों का दिल टूट गया तो बाहर के षडयंत्र सब

सफल हो सकते हैं । मुझे विश्वास है कि अगर देशभक्तों की कद्र यहां की गयी तो बाहर की कोई ताकत हिन्दुस्तान का कोई बाल बांका नहीं कर सकती, कोई षड्यंत्र उनका सफल नहीं हो सकता, कोई षडयंत्र कामयाब नहीं हो सकता। हम इन लोगों की सहायता से देश को आगे लाएंगे ।

श्री सोहन लाल धुसिया (उत्तर प्रदेश) : जनाब-सदर शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट जो यहां पर आयी है चर्चा के लिये, इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने इंटरेस्ट लिया जो यह हाऊस के सामने आयी । लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि आइंदा हर साल यह समय पर डिसकसन में आयेगी । ऐसा न हो कि कई वक्त का खाना एक ही वक्त में खाना पड़ जाय ... बनाने वालों को भी परेशानी और खानेवालों को भी परेशानी । सबजेक्ट पर कुछ कहने के पहले हम प्रार्थना करेंगे कि आप पिछले डिस्कशन को दिखवा लीजिए कि उसमें ज्यादातर मेम्बरों की डिमांड किस तरह की हुई थीं और उसका रिजल्ट क्या रहा। आप जवाब दे दें तो हम लोगों को कम्परेटिव स्टेडी करने का मौका मिल जायगा, नहीं तो पिछली मर्तबा क्या डिमांड हुई थीं, आपके आफीसर्स ने क्या किया उससे हम अनभिज्ञ रहेंगे ।

अब हम सबजेक्ट पर आना चाहते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की पोजीशन बिलकुल वही है जैसी कि एक उस मरीज की होती है जिसको तीन-चार मर्ज एक साथ हो, डायबिटीज भी हो, ब्लड प्रैशर भी हो, दांत का दर्द हो और पेचिश भी हो । डाक्टर परेशान रहता है कि पहले किस पर हाथ लगावें । जैसा ही इनका मामला है । सोशल पोजीशन, इकानामिक कंडीशन, एजूकेशनल पोजीशन, पोलिटिकल पोजीशन सब एक साथ लगी हुई हैं । सोचता हूं मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को रास्ता निकाल कर आसान बनाया जा सकता है कि कैसे हम चलें । लेकिन चलने वालों ने क्या क्या रास्ता अख्तियार किया देखकर ताज्जुब होता है । इस तरह से तो सैकड़ों साल लग जाएंगे और रास्ता नहीं मिलेगा । लोग इसको शेड्यूल्ड कास्ट का प्राबलम क्यों मानते हैं, देशका प्राबलम क्यों नहीं मानते । जब सरकारी आंकड़े में 22 परसेंट उनकी आबादी है तो इतने लोगों को गुलाम-दर-गुलाम बनाकर कब तक रखेंगे । 21वीं शताब्दी का सपना देखने वाला इतना बड़ा पुछल्ला, जो दाग से भरा हुआ है, अपने साथ ले जायगा ? ऐसा होना तो नहीं चाहिए । इसे शेड्यूल्ड कास्ट का प्राबलम न मान कर देश का प्रोबलम मानते हुए इतने लोगों की सोशल, एजूकेशनल पोजीशन को ईवैलुएट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो इससे देश का अहित होगा ।

सबसे पहले इनकी पोजीशन अस्पृश्यता की आती है सोशल कंडीशन में । यहां बैठने वाले थोड़े से लोग कह देंगे कि यह क्वेश्चन तो सोल्व हो गया है । शहरों में भले थोड़ा बहुत हो गया हो । मैं 83 का खुद भुक्त भोगी हूं । उस समय मैं हायर एजूकेशन सर्विसेज कमीशन में मेम्बर था । इलाहाबाद सिविल लाइन में मुझको किराये का मकान नहीं मिला । 600 रुपया किराया देने पर भी हरिजन है, चमार है यह जानकर देने से इनकार कर दिया । पहली चीज तो यह है कि आप इतना कर दीजिए कि वहां की अथारिटीज को गुंजाइश रहे कि 35-40 परसेंट मकान किराए पर जो देते हैं वह शेड्यूल्ड कास्ट वालों को भी मिलें । वह किराया देते हैं फिर भी किराये पर मकान नहीं मिलते । अजीब बात हो गई है । एक पार्टी है जिसकी तरफ से घृणा के इस भाव का प्रचार किया जाता है । वे शेड्यूल्ड कास्ट-शेड्यूल्ड ट्राइब को आदमी नहीं मानते ।

[श्री सोहन लाल घूसिया]

गाय को मार दो तो यह पार्टी बलवा करा देगी, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट-शेडयूल्ड ट्राइब को मरवा दो तो गवाही नहीं मिलेगी। एक्चुअल पोजीशन यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट–शेड्यूल्ड ट्राइब को मरवा दिया जाय, उसका मर्डर हो जाय तो कोई गवाही नहीं मिलेगी। एक गाय या बन्दर या बिल्ली मर जाय तो बलवा हो जायगा। यह हमारी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों की दिशा है। इससे इनकार नहीं कर सकते। जब से 76 से यह काग्नीजेबिल आफेंस हो गया है हर स्टेट गवर्नमेंट से, हर कमिश्नरी से आंकड़ा लेकर अनटचेबिलिटी के खिलाफ जितने भी मुकदमे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन में दायर हुए उनकी संख्या आप सप्लाई करें, यह प्रार्थना है। इस से देश को भी फायदा होगा और हम लोगों की नालेज बढ़ेगी। आप को भी मालूम हो जायगा कि किस राज्य में काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप के अफसर इस से एग्री न करें लेकिन आप

4.00 P.M. को उन को एग्री कराना पड़ेगा और अगर मिनिस्टर चाहेगा और समझेगा कि काम राइट है तो उन को काम करने में गुरेज नहीं होनी चाहिए। इस में तमिलनाडु सब से आगे है और उस ने कुछ काम किया है। तकलीफ तो तब होती है कि जब न स्टेट साथ देता है और न मिनिस्ट्री साथ देती है। ऐसी हालत में क्या किया जाय। यह हालत क्रियेट करने के लिये आप ही जिम्मेदार हैं। एक बात याद आती है जो डुयेल एडमिनिस्ट्रेशन आफ बंगाल से संबंधित है। कंपनी के जमाने में एक तरफ तो कंपनी के अफसर हुकूमत करते थे और दूसरी तरफ नवाब के सिपाह थे और इन दोनों के बीच में बंगाल की जनता पिसी जा रही थी। यह बात इतिहास में बहुत मशहूर है। वैसे ही आप का कमीशन है और कमिश्नर है अजीब मुसीबत है। कमिश्नर कहीं जाता है तो हम जानते हैं कि उस को रिपोर्ट मिल जायगी लेकिन कमीशन के रिपोर्ट मांगने पर भी उस को रिपोर्ट नहीं मिलती। आप की रिपोर्ट में ही आया है कि उन्होंने कितने ही स्टेट्स से रिपोर्ट मांगी लेकिन स्टेट्स ने उस को रिपोर्ट नहीं दी। कमीशन पोलिटिकल था। उस को आप समाप्त करिये। कमिश्नर के लिये आपके संविधान में भी प्रावधान है। आप उस को बनाइये और एक चीफ कमीश्नर के नीचे दो, तीन या चार कमिश्नर रखिये और उस के अंडर में रह कर वे काम करें। लेकिन उस में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जरूर होने चाहिए, इस लिये कि लोग केवल किताब पढ़ कर ही सही ज्ञान हम लोगों के बारे में नहीं पा सकते। आप के कमिश्नरों में ऐसा आदमी होना चाहिए कि जिस को इन लोगों की हालत का सही ज्ञान हो। अगर किताब पढ़ कर ही वे सब काम करेंगे तो सत्यानाश हो जायगा। कमिश्नर का आफिस तो बन जायगा लेकिन वह काम नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट की मदद के लिये और शेड्यूल्ड कास्ट की भलाई के लिये मैं कहना चाहता हूं कि उस के आफिस में भले ही 75 परसेंट दूसरे लोग हों लेकिन 20 या 25 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों। ऐसा होने पर वे कमिश्नर को सही तौर पर स्थिति की जानकारी दे सकेंगे और काम समझा सकेंगे। यह तो किताब पढ़ने वाले लोग हैं। किताब पढ़ कर वे समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। हम लोग भी जब वकालत करते थे तो ऐसे ही प्रिज्यूम कर लेते थे। लेकिन यहां प्रिजेम्पशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप को ऐसा करना पड़ेगा और तभी इस रिपोर्ट का मंशा पूरा होगा। वैसे आप को तो 75 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को आफिसों में रखना चाहिए।

एक चीज और है। यह विभाग देखा जाता है लेबर मिनिस्ट्री से। लेबर मिनिस्ट्री वालों को इस बारे में पूरा ज्ञान ही नहीं है। यह तो आप की मिनिस्ट्री में होना चाहिए। जन कल्याण

की मिनिस्ट्री में जब तक यह नहीं आयेगा तब तक बांडेड लेबर का सवाल तो हल ही नहीं हो सकता । इस के लिये तो हम उस कमिश्नर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वह बराबर कोशिश करता रहा कि बांडेड लेबर हैं और जब प्रान्तों को 4000 रुपये की बात दिखाई दी फी बांडेड लेबर के लिये तो उन्होंने कहना शुरू किया कि हां, बांडेड लेबर हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि आज बांडेड लेबर फ्री हो रहे हैं । अगर बांडेड लेबर को कोई रोजगार कुछ दिन के लिए मिल भी जाता है तो थोड़े दिन बाद वह फिर से बांडेड लेबर हो जाता है । मैं उत्तर प्रदेश का हूं । मुझे मालूम है कि मलिहाबाद से शाहजहांपुर तक रेलवे लाइन के किनारे लाखों एकड़ जमीन है लेकिन अगर पूछा जाए तो जो भी पटवारी लिख देगा, वही मिनिस्टर लिखकर भेज देगा । मैं कहता हूं कि आंख खोलकर देखिए । मलिहाबाद से शाहजहांपुर तक लाखों एकड़ जमीन पड़ी है, उसको गरीबों को आप दें । जब तक ऐसा नहीं होगा, बांडेड लेबर का मसला हल नहीं हो सकता है ।

श्रीमन्, इनकी रोजी रोटी के लिए तो सभी ने कहा है । मैं एक बात विशेष रूप से निवेदन करूंगा उनकी एेजुकेशन के बारे में क्योंकि उसका थोड़ा बहुत नालेज हमको है । इसके बारे में जनसत्ता में निकला है कि काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर साहब ने 81 अध्यापकों की नियमित विभागीय नियुक्ति की जिनमें से 53 सजातीय हैं । अन्य विभागों में कुल 90 अध्यापकों को नियुक्ति हुई है जिनमें से 60 सजातीय हैं । डेढ़ सौ लिपिकों में से 100 सजातीय हैं । हमको जाति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको तकलीफ है कि अगर वे जाति की ओर न देखते तो हो सकता है कि कुछ शैड्यूल्ड कास्ट के लोग भी आ जाते । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हर्डल कहां क्रियेट करते हैं लोग? इस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में एक विरोध की भावना आ गई है । जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, वे सब शोषण के खिलाफ, कम मज़दूरी के लिए होती हैं । अब तो गांवों में भी 4, 5 या मिडिल तक लोग पढ़ लेते हैं । जब वे मज़दूरी कम पाते हैं तो विरोध करते हैं लेकिन गांव के जो बदमाश लोग हैं, शरीफ लोग ऐसा नहीं करते, बदमाश लोग पुलिस वालों को रुपए दिलाकर उनको नक्सलाइट करार देकर शूट करा देते हैं । आखिर गरीब जो हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी का कम भुगतान ही हरिजनों एवं आदिवासियों के शोषण का कारण है । इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है—

"न्यूनतम मजदूरी का कम भुगतान ही हरिजनों और आदिवासियों के शोषण का एक जरिया है । ये समाज के सभ्य कहे जाने वाले तबके समाज और आदिवासियों की लूट खसोट में लगे हुए हैं । जहां कुछ चेतना वाले हरिजन या आदिवासी इस लूट खसोट का विरोध करते हैं, वहां उनको नक्सलवादी कहकर पुलिस की गोली का शिकार बना देते हैं । इस तरह से फर्जी मुठभेड़ में यू० पी० के बांदा जिले में मारे गए 145 लोगों में अधिकतर गरीब 20–25 साल की उम्र के थे और ऊंची जाति के केवल 8 थे, मंत्री जी जरा ध्यान से सुन लें । उनको नौकरी न मिलने का दोष उनका नहीं है। उन्होंने तो टाइम लिमिट के अन्दर बी०ए०, एम०ए० या इंटर कर लिया है । उनको नौकरी देने का काम सरकार का है । इस बीच में अगर वे ओवर-एज हो जाते हैं तो उनके साथ उम्र की पाबंदी लगाना उनके साथ ज्यादती होगी कि उम्र अधिक होने से उनको नौकरी नहीं मिल रही है । उनको ओवर-एज होने के बाद भी आप इंप्लायमेंट दीजिए लेकिन उनको बेशक आप 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायर कर दीजिए । अगर कोई 40 साल का हो गया है तो भी उसे नौकरी दीजिए, लेकिन उसको 58 साल में रिटायर कर दीजिए । हां, आप उसको 50 साल पर रिटायर कर दीजिए । ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे मंत्री जी कुछ कह लें, लोग कुछ कह लें, कुछ नहीं होने वाला है । देश

[श्री सोहन लाल धूसिया]

आजाद हुए कितने ही साल हो गये । 20 सूत्री कार्यक्रम में इस का जिक्र है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में है कि इनके साथ न्याय करो, इनको इतनी जगह दो लेकिन ये कौन डकैत हैं जो इनको न्याय नहीं देने दे रहे हैं । क्या सरकार इसको देख नहीं रही है ? ये सफेद पोश डकैत कब तक यह करते रहेंगे, कब तक इनके हक को छीनते रहेंगे ? इनको शर्म आनी चाहिए डिपार्टमेंट के लोगों को देखना चाहिए । । मंत्री जी आपसे कहूंगा कि आप इसको सख्ती से नहीं करेंगे तो आप भी बदनाम होंगे और गवर्नमेंट भी बदनाम होगी । अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है कि तीन महीने की तनख्वाह देकर इनको निकाल सकते हैं और दूसरे अच्छे आदमी भर्ती कर सकते हैं । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तबतक यह ऐसा ही करते रहेंगे । अंत में इसी बात को रिपोर्ट करूंगा कि कमीशन वगैरह को हटाइये । आप एक चीफ कमिशनर को बना कर उसके अंदर दो-तीन, जिसको वह चाहे रखे, पर उसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जरूर आदमी होना चाहिए, ऐसा एक बना दिया जाए । इतना ही कह कर मैं खतम करता हूं ।

श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त (जम्मू और काश्मीर) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम सदन में उस समाज की चर्चा कर रहे हैं जो सदियों से पददलित है । समाज ने उन पर अत्याचार किये हुए हैं । हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनमें इस किस्म की कोई व्यवस्था नहीं है कि उन पर अत्याचार हो, छुआछूत उनके साथ किया जाए । ऋग्वेद में वर्णाश्रम धर्म का आरम्भ होता है और उसमें एक मंत्र आता है । उसने वर्णाश्रम धर्म का डिवीजन किया है कि ब्राह्मण को विद्या, क्षत्रिय को डिफेंस कंटरी की रक्षा और जो वैश्य हैं उनको व्यापार और जो शूद्र हैं वे सेवा भाव के लिए हों । लेकिन उनसे यह नहीं कहा गया कि उनसे छुआछात किया जाए । समाज ने इन पर बहुत अत्याचार किए हैं । जो अत्याचार उन पर समाज में किए गये हैं वह सब के सामने हैं । स्वामी दयानन्द ने इनको कुछ न कुछ संरक्षण दिया और फिर महात्मा गांधी जी ने, हरिजनों को मसीहा कहने वाले, मरनव्रत रख कर हरिजनों को पृथक नहीं होने दिया । दूसरी कम्युनिटी से पृथक होने से उन्होंने बचा लिया । मैं उसी कम्युनिटी के कोई 30-32 हजार हरिजन के बारे में बताना चाहता हूं कि वे इस समय भी जम्मू-कश्मीर में पड़े हुए हैं । वे 1947 में पाकिस्तान से यहां चले आए थे और बार्डर पर ही बस गये । आज भी उन हरिजनों को जो 37 साल से रह रहे हैं नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं । वे म्युनिसिपल्टीज और असेम्बलीज, नोटीफाइड एरियाज के किसी भी इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते । मत देने का अधिकार उनको नहीं है क्योंकि ये नागरिक नहीं हैं । उनको कहा जाता है कि तुम पाकिस्तानी हो वहां चले जाओ । ये 30-32 हजार तब थे अब तो इनकी संख्या बढ़ कर 50-60 हजार हो गई होगी । आज जो स्वयं नागरिक नहीं है उसके बेटे और उसके बेटे के बेटे यानी उसके पोते हो चुके हैं आज वे भी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं । वे एक इंच जमीन भी नहीं खरीद सकते हैं । वह सरकारी ठेका नहीं ले सकते । वे आज दूसरे लोगों की नौकरी करके अपना जीवनयापन करते हैं । उन्होंने आन्दोलन किये हैं कि उनको नागरिक अधिकार दिये जाएं । परन्तु सरकार ने नहीं सुनी । वहां नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार भी आई और फिर नेशनल कान्फ्रेंस की सरकार है, लेकिन आज तक उनको नागरिक अधिकार नहीं दिये गये हैं । ये हरिजन लोग जिन्हें कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो । वे सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बार्डर क्रास किया और अंदर चले गये । मैं भी उस उस वक्त वहीं था । उन्होंने वहां बार्डर के पार सिपाहियों से कहा कि हम आना चाहते हैं, यहां की सरकार हमें निकाल रही है तो उन्होंने कहा कि इधर आओगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे, गोली चला देंगे । वे वापस आ गये । उन्होंने यहां मरण व्रत रखा और चार-चार, पांच-पांच महीने तक उन्होंने सत्याग्रह किया । परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई । यहां पर श्रीमती राजेन्द्रकुमारी वाजपेयी बैठी हुई

हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इन हरिजनों को संरक्षण दें और काश्मीर सरकार को कहें कि उनको नागरिक अधिकार दें । आज तक, वे अछूत हैं । वे अछूत क्या अछूतों से भी बदतर जिन्दगी जी रहे हैं ।

इसके अलावा मैं लद्दाख के लोगों का भी यहां प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं । श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने यह कहा था लद्दाख के लोगों को कि तुमको शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जायेगा । परन्तु आज तक भी उन लोगों को शैड्यूल्ड ट्राइब की संज्ञा नहीं दी गई है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लद्दाख की जो जनता है, लाख के जो लोग हैं उनको शैड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया है और उनको वही राहतें मिलें जो अन्य शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दी जा रही हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करना चाहता हूं ।

श्री नत्था सिंह (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, तीन दिन से सदन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्टों के ऊपर चर्चा चल रही है । मैं माननीया मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा कि काफी अर्से की यानी 74, 5,81,82 और 85 की ये रिपोर्ट आज सदन में बहस के लिये प्रस्तुत हैं । यहां पर हमारे माननीय सदस्यों, हां पक्ष के और ना पक्ष के, ने बहुत सी बातें कहीं हैं । मैं मंत्री महोदया को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जहां बसे हुए हैं उन पर 1979 के बाद से, जनता पार्टी के राज से ज्यादा जुल्म शुरू हो गये हैं और क्यों हो गये हैं कि जयप्रकाश जी ने एक नारा दिया था कि भय मुक्त हो, उस टाइम से अत्याचार शुरु हो गये हैं। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, मैं आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई अन्य प्रदेशों के उदाहरण बताऊंगा । दिल्ली के अंदर हमारे राजस्थान के 12-12 हजार हरिजन यानी 80 प्रतिशत हरिजन वहां से भाग गये हैं और यहां बेलदारी करते हैं और अपना पालन-पोषण करते हैं । वह बड़े बड़े जमींदारों और जो बड़े बड़े सरमायेदार हैं उनके द्वारा सताये हुए हैं और उन्होंने उनको बेदखल कर दिया है । यह जमीन का कानून ऐसा बना हुआ है कि जिन परिवारों के लिये खेत जोतने के लिये पट्टा होता था, जो 72, 73, 74, 75 से वहां बैठे थे उनको पट्टे का कब्जा दे दिया गया लेकिन उन लोगों ने बाद में अधिकारियों से मिल-मिलाकर यानी उसको सिकमी काश्त दर्ज करके उन लोगों की जमीनें छीन ली हैं । मैं उदाहरण के लिये राजस्थान की बात बताऊंगा । राजस्थान के लाखों ऐसे केसेज हैं। हरिजनों के ऐसे केस हैं जो कचहरियों में चल रहे हैं । जिस जमींदार के पास तीन सौ बीघा जमीन है एक हरिजन जाटव के घर पर हरिजन खटीग कोई भी कौम के शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उसके नाम पर अगर पांच बीघा जमीन है तो सिकमी वहां पर जमींदार की चल रही है । मेजिस्ट्रेट को फैसला दिये हुए 10-10, 12-12 साल हो गये हैं आज तक फैसला नहीं हुआ है । ऐसे भी राजस्थान में केस हैं जो हाईकोर्ट ने रेवेन्यू बोर्ड ने अपना फैसला दे दिया 10 बीघा काश्तकार को दे दिया कि यह जमीन इसके लिए रहेगी लेकिन वहां के अधिकारियों ने आज तक यह जमीन का कब्जा वापिस नहीं दिलाया है । ऐसे लाखों केस राजस्थान में हैं । मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लोगों के ऊपर सभी जातियों के लोग जुल्म करते हैं। शैड्यूल्ड ट्राइब में हमारे यहां मीणा जाति के जमींदार हैं और मीणा जाति के लोग चौकीदार हैं । चौकीदार मीणा राजस्थान में सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर में जो रहते हैं उनके पास जमीनें हैं वे भी मीणा हैं । उनके घरों में लड़के आई० ए० एस० हैं बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर हैं, सभी

[श्री नत्था सिंह]

जमींदार हैं और उनकी भी शैड्यूल्ड ट्राइब में रखा हुआ है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी पूरी जांच कर के यह मीणा कौम जो हैं जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा इनको शैड्यूल्ड ट्राइब से निकाल दिया जाए बाकी जो हैं नाई, धोबी ऐसी कौमों को दिल्ली प्रान्त में तो शैड्यूल्ड ट्राइब में कास्ट में रखा हुआ है लेकिन राजस्थान में इनको शैड्यूल्ड कास्ट नहीं माना गया है। यह दो कौमें नाई और धोबी की हैं इनको भी शैड्यूल्ड कास्ट में लिया जाए। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाउंगा कि हिन्दुस्तान में जितने भी शैड्यूल्ड कास्ट के अफसर हैं चाहे वे आई० ए० एस० हों, आई० पी० एस० हों, इंजीनीयर हों, डाक्टर हों, उनको वहां की सरकारों ने राज्यों की सरकारों के कटघरे में बन्द कर रखा है, कलम घिसाने में दफ्तरों में लगा रखा है। अगर एक इंजीनीयर है वह किसी जिले में लगे तो शैड्यूल्ड कास्ट के अपनी जाति के लोगों को डेली वेजेज पर गरीबों को नौकरी दे सकता है क्योंकि न तो उनके पास जमीन है, न खाने को है लेकिन उनको भी डेली वेजेज पर काम नहीं मिलता है। बड़ी जातियों के अफसर लोग उन्हीं लोगों को नौकरी देते हैं, डेली वेजेज पर लगाते हैं जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो जानकार होते हैं। राजस्थान में शैड्यूल्ड कास्ट के एस० पी० भी हैं डी० एस० पी० भी हैं, डी० आई० जी० भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डाक्टर भी हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनको दफ्तरों में लगा रखा है कलम घिसाने पर लगा रखा है, हिन्दुस्तान की हालत क्या होगी मैं आपको इस दिल्ली की हालत बता देना चाहता हूं। यहां पार्लियामेंट में हम कानून बनाते हैं और देश में इस कानून का पालन होता है। ईस पार्लियामेंट में जितने भी अप्वाइंटमेंट होते हैं, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राईबज के लोगों की तरक्की को काट करके दूसरे लोगों को दे देते हैं। यह तो आपके दिल्ली की बात मैं बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ लोगों के लिये जो रियायतें बनी हैं उसमें शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को जो वजीफा मिलता था आज इतनी महंगाई हो गई है लकिन वजीफे की जो रकम बहुत दिन पहले से मिलती थी वही रकम आज मिल रही है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह वजीफा जो शैड्यल्ड कास्ट और शैड्यूल्ट ट्राइब्ज के लोगों को दिया जाता है इसकी रकम बढाई जाये। जो काफी पहले 50 पैसे की मिलती थी वह कापी आज ढाई रुपये की मिलती है, जो किताब तीन रुपये की मिलती थी वह आज 10 रुपये की हो गई। इसी तरीके से इनको वजीफे में कुछ सहायता मिलेगी तो इनके बच्चे पढ़ेंगे और पढ लिखकर के अपने पैरों पर खडे हो सकते हैं।

माननीय मंत्री जी मैं एक तरफ आपका ध्यान और दिलाऊंगा। आपकी अनुसूचित जनजाति की "मैना" कोम जो है इसके लिये मैंने पहले भी निवेदन किया है और आज भी निवेदन करूंगा कि इनको शिडयूल्ड ट्राइब्ज से निकाल दीजिये। एक हमारा कमीशन है उस कमीशन को कोई पावर नहीं है। हिन्दुस्तान में शिड्यूल्ड कास्ट्स को जो संविधान के तहत परसेंटेज नौकरियों में दिया जाता है वह कमीशन यह नहीं जान सका है किन किन प्रान्तों में उनका परसेंन्टेज क्या है। इसकी छानबीन करके वह लिस्ट निकालिये और देखिये कि किन किन प्रान्तों में शिड्यूल्ड कास्टस का कोटा पूरा हुआ है या नहीं हुआ है?

तरक्की के नाम पर क्या है। यह जो तरक्की है इसमें भी कमीशन को मालूम नहीं है। तरक्की में जिसका नंबर होगा उसको काटकर अधिकारी दूसरे को दे देते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स को रिपोर्ट मंगाकर उसको खराब कर देते हैं या किसी तरीके से कोई झूठा लांछन लगाकर उसके नम्बर को काट कर दूसरे को दे देते हैं। ऐसे सैकडों उदाहरण देश में हैं, राजस्थान में हैं, सभी जगह ऐसे उदाहरण हैं। तो मैं इतना ही कह कर आप लोगों से क्षमा चाहूंगा माननीय मंत्री जी मैं पुनः यही कहूंगा कि

"मैना" कोम जितना हरिजनों पर जुल्म करती है इतना और कोई जु[illegible] [illegible]हींकरता। इसके साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have been listening with rapt attention to the speeches of my learned colleagues Some of them like my friend, Mr. Kalp Nath Rai thundered in the House about the injustices to which the Scheduled Caste and Scheduled Tribe are subjected. Many of them have suggested many things. By throwing some jobs, giving some crums, filling some posts, whether this problem could be solved. Will it is be possible to eradicate the evils, the insults, the humiliation to which the Scheduled Caste people are subjected over the centuries ? No Sir, not at all. Will it be possible to uplift these people from thoir present position and remove the stigma in our society ? No. Because it is deep rooted in our system, that is the caste system, that is the rock bottom, that is the very foundation on which the Hindu Society, rather the Indian Society itself has been built. Unless a day drawns to demolish and destroy this pernicious foundation of the structure liberation will never dawn on these poor creatures.

Sir, caste is embedded in our blood. Scratch any Indian, we could find his caste . This is the basic problem. How it happened ? Sir, my colleagues should forgive me or should bear with me if I narrate the history. It is only after the arrival of the Aryans through Khyber Pass and Bolan Pass that this poisonous snake entered into our society. My friend, Mr. Dharam Chander Prashant was quoting Rig Veda and other Vedas but these Chaturvedas created a Chaturvarna and Varnasrama gave a legal sanction to the caste system.

Of course, the Rig Veda says hat it is from the mouth of the Creator that the Brahmins were born, the Kshatriyas from the arms. the Vaishyas from the thighs and the Shudras from the feet. But my friend said that there was no untouch-ability according to the Rig Veda. Sir, this is a book by Mr. B.R. Ambed-kar and the title of the book is : "Who were the Shudras ?" He says—I quote Vishnu Smriti :

"With whatever limb an inferior insults or hurts his superior in caste, of that limb the king shall cause him to be deprived.

If he places himself on the same seat with his superior, he shall be banished with a mark on his buttocks.

If he spits on him he shall lose] both lips.

If he breaks wind against him, he shall lose his hind parts.

If he uses abusive language, his tongue.

If a low-born man through pride give instruction (to a member of the highest caste) concerning his duty, let the king order hot oil to be dropped into his mouth.

If a Shudra man mentions the name or caste of a superior revilingly, an iron pin ten inches long shall be] thrust into his mouth (red hot)."J

Also it goes on like this :

"The Shudra belongs to the fourth caste, which has one bilrk (only).

And serves the higher (castes).

From them he shall seek to obtain his livelihood.

He shall use their cast-off shoes.

And eat the remnants of tkeir food.

"A Shudra who intentionally reviles twice-born men by crimuud abuse, or criminally assaults tlrem

[Shri V. Gopalsamy]

with blows, shall be deprived of the limb with which he offends.

If he assumes a position equal to that of twice-born men in sitting, in lying down, in conversation or on die road, he shall undergo (corporal punishment)."

So these are the Shudras. These are the Vedas. .This is *Manu Smiriti.* These are the scriptures. These Vedas, these *Smritis* gave legal sanction for the caste system. Unless we bury them, unless we burn them, unless a new cultural revolution takes place in this country, these evils will never be eradicated, will never be liquidated from our society.

Sir, to what extent has the caste system affected people ? It will be interesting to read what happened to Chhatrapati Shivaji, a mighty warrior, who with the power of his sword shattered the ambitions of the great Moghul Empire. Sir, even the name oi Shivaji was a terror to Aurangzeb. But what happened ? When he wanted to perform his coronation ceremony, Mr. Ambedkar says, he was not permitted at first. Even his Brahmin Ministers were objecting to it. And why did he want to have the coronation Ceremony ? Mr. Ambedkar says

"For although the high-spirited Deccan nobles gladly followed Shiva ji in the field, they were unwilling in private life to concede to him any precedence. And at State dinners they resented that a Bhosle should sit on a seat raised above those assigned to Mohites and Nimbalkars, Savants and Ghorpa-des."

So to get social precedence, he wanted to have his coronation cere-money. And they objected to it because he did not have his "Upana-yana", because that sacred thread was not invested on him. But the sacred thread did not bring him glory. It is his sword and shield that brought him glorv. Tien be sent his emissaries to Banaras to a priest Gaghabat there. He was brought from there and gold was. poured like anything upon the upper caste people and he had to wash the feet of those people. Then the coronation ceremony was conducted. Then when he was about to get into the chariot, he was not permitted. This is what Mr. Ambedkar says.

The same thing fappended even after independence. When, Sir, Mr. Jagjivan Ram, a disciple of Mahatma Gandhi, a colli agi Pandit Jawaharlal Nehru, unveiled a portrait of Sampurnanand, what happened ? He simply pressed the button.

But when that was not tolerated and digested by the upper caste people.

SHRI KALPNATH RAI : (Uttar Pradesh) No. it is an entirely wrong allegation. You are making a wrong allegation.

SHRI V. GOPALSAMY : It is not a wrong allegation. They brought j Ganga Water, they poured Gaiiga water on the statue. It is history. It has happened- It is reported in the press a thousand times.

SHRI KALPNATH RAI : Press reports are not authentic. You cannot say things like this.

SHRI V.GOPALSAMY : It has ha ppened. Mr. Kalp Nath Rai is agitated over this remark. I ask a simple que stion. A man who is born a scheduled caste or a schedukd Tribe can become an IAS officer he can become a collector, he can become a military commander, he can become the- Prime Minister or the President of India. But my simple question is: Can he become an archaka or purohit ? No. when lie passed a legislation that even the scheduled Castes and schedukd Tribes... *{interruption by Skri Kalp Nath Rai)* you don't know anything. Mr. Kalp Nath Rai . . fc fc £,

SHRI KALPNATH RAI : People touch Jagjivan Ram's feet and he takes interest in it.

SHRI V. GOPALSAMY : Mr. Vice-Chairman, he is exhibiting his ignorance. When we passed a legislation that even the Scheduled Castes ' an Scheduled Tribes prople could become archakas, the matter was taken to the Supreme court, and the Supreme court, struck down the legislation. It is t\\ere. For the information of my friend Mr. Kalpnath Rai I may tell him the Supreme Court struck down the legislation and the basis was that it was against the *Agamas.* So he could not enter into the *garbhagriha* of God. into the precincts of God. So in the eyes of the Supreme Court God almighty also is practising untouchabilty. That is why he could not enter the *garbhagriha* or the precincts of God. According to the *Agamas* he could not become an archaka.. ..

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : I think you have dwelt too long on the genesis. Now you come to the point.

SHRI V. GOPALSAMY : This is the basic problem of our society. We were the pioneers. Dr, Ambedker applauded us because in South India the *sudars* had themselves taken up the issue to protect themselves They started a movement. "Nobody will come to protect you". Says he. "You have to protect yourself." ".. .That is being practised in south" Mr. Kalp Nath Rai you know , Mr. Periar, the greatest champion of social justice in this country, had to go to Vaikom, Kerala, when people were not permitted even to walk in the streets of Vaikom. He was a Congressman. He was a Congress leader. When Gandhi -ji visited Tamil Nadu, he used to stay in the bunglow of Pariar Ramaswami. But when he was shocked to see the evils of the caste system, inside congress party he came out of the Congress party. He went to Vaikom....

SHRI KALPNATH RAI : which party did he join then ?

SHRI V. GOPALSAMY : He started Ins own movtnx nt the self-respect movement. We were the pioneers That is our concept. That is tie concept of our people. . *(interruption br Shri Kalp . .*

SHRI KALPNATH RAI : you don't know history, you dem't know anything. You are simply interrupting. You don't know Politics.. .

SHRI KALPNATH RAI : Sir, he tells me that I do not know politics I do not know history. I want to tell him, the biggest disciple of Mr. Pariar, Mr. Karunanidhi, was rejected hands down by the people of Tamil-Nadu. He should knew it.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : No aspersons on individuals.

SHRI V. GOPALSAMY : Mr Periar did not contest the election. When I am referring to Mr. Pariar do you know Mr. Periar had to go to Vaikon to protect the people. He was invited by the Congress leaders in Kerela. There is a powerful lobby go ing on against the reservation policy.

They speak about merit and they speak about economic criterion also. It is a lobby engineered by some vested interests. Even yesterday the Gujarat Government has succumbed to the pressures of the vested interests. They speak about merit and they speak about economic criterion. But can we forget the centurces-old reservation policy when the roads were reserved for the upper cases where the lower caste people the Shudars could not enter? When pigs and donkeys were permitted to enter the streets and road these people were not permitted to enter; they were reserved for the castes and that was the reservation policy which), was followed for centuries. Of course, equality should be

[Shri V. Gopalsamy]

there. But equality could be there only among the equals and so these people have not been treated as equals for centuries. That is why this reservation policy should continue.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : Please conclude.

SHRI V. GOPALSAMY : Mr. Vice-Chairman, Sir, do you think that it is possible by implementing the recommendations of this Commission, to eradicate these evils of the caste system ? But what is this Government doing now ? You are only projecting tlit Prime Minister on the TV and you are only projecting the Government on the TV, on the radio, etc. and about seventy-five per cent of the population is influenced by the media. But what steps have you taken to eradicate the evils of the caste system through the media such as TV and radio ? Nothing you have done and nothing you are going to do. What have you done in your educational curriculum to teach about the evils of the caste system ? Unless you do all these things, you cannot eradicate this evil. I say this because the system is like that. There should be social awareness. What have you done to create social awareness among the people through your media ? you are simply projecting the Government and the Prime Minister every morning and every evening on the TV and radio. But these media are not used to eradicate these evils.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : Please try to conclude.

SHRI KALPNATH RAI : Mr. Gopalsamy, the Prime Minister does not belong to any caste.

SHRI V. GOPALSAMY : Oh, I see, Yes, I know that and I am not blaming him.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) :Mr. Gopalsamy please try to conclude.

SHRI V. GOPALSAMY : I know that the Prime Minister has no caste because he is a consmopolitan. He is not a Hindu, he is not a Parsi, he is not a Christian : I know that.

Mr. Vice- Chairman Sir, our con-I cept is very wide. Our concept is : "pirappokkum Ella Uyirkkum", which , means that *men* are equal by birth. This is what our Thiruvallurvar has said 'pirappokkum Ella Uyirkkum" That is our concept. But when people invaded *from* north through their cultutal aggression and encroachment, our own values were eroded. So my suggestion to the Government now is this you have to unveil the portraits of periyar and Dr. Ambedker in the Central Hall. They were the real champions of social justice in this country. That day should come. So, unless you strike at the very roots of the caste system which is a cancer in our society. . *[Interruptions)* Mr Kalpnath Rai, you are simply laughing but the whole world is laughing at you. Sir, I was telling that unless you destroy the root of the castes system you can never achieve the goal of uplifting the scheduled caste and Scheduled Tribe people. Thank You.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : Yes, Mr. Panickar.

SHRI K. VASUDEVA PANICKER (Orissa) : Thank you, Mr Vicc-Chairman, for calling me to speak on this subject.

Sir, I am really grateful to the honourable Ministr, Dr. Rajendra Kumari Bajpai, for having presented the Reports of the commission for scheduled castes and scheduled Tribes.

When we discuss about the Commission's Report, we have to consider..... *Interruption)* I honestly feel that we have to consider the most fundamental document of the land that is the Constitution of India which is there for the perfection of the citizens of India. The Constitution of India is a document which is a solemn document which is a sacramental document, a document which

has been bestowed upon the responsibilities of looking after the welfare of the people of a large country like India. The people might belong *to* this religion or they might belong to another religion, or they might belong to different religions but the people, whether they are rich or they are poor are entitled to the benefits of the protectionary rights and responsibilities of the Constitution.

Now, when we take the people coming into the category of Seheduled castes and scheduled Tribes, we have to see where these peoplejstand *vis-a-vis* the Constitution of India. The Constitution has got a preamble. The Preamble of the Constituion says that India is a Socialist, Democratic Republic. This is a country which is defined as a Republic—not only as a Republic but as a Socialist Republic. But again, this is a country which has been defined as a Democratic Republic. So, in the definition in the Preabmble, we come across two fundamental aspects which nobody can ignore. One is socialist aspect which has been enunciated in the Constitution another is Democratic process of life which has also been enshrined in the Constituion of India.

Now, let us see what is the plight of the people of this country who are living below the poverty line, that is, 40 per cent of the people who live below the line which is called the poverty line. These people are the people who are seeking the protection of the Constitution. A rich man, an industrialist, a landlord, and advocate or a man who is affluent, is totally competent to get his benefits of the Constitution by resorting to suitable measures. But here is a Constitution, which as suggested to you, is a dcument which is standing for the welfare of the people. And this Constitution has been written for the purpose of converitng India into a socialist, egalitarian society, and at the same time making this country a domocratic, socialistic nation. What do you mean by the word 'democracy' The word 'democracy' does not have any connotation. India is a third world country, India is a developing country and India is a poor man's country. For a poor ruin's country, the definition of 'democratic' is different from what is meant in England, in America or elsewhere in the world. For a man, specially a poor man, the definition of 'democracy' has three things : One is food which he eats; second is the shetler under which he stays, and third is the clothes with which he protects himself against cold, sun or nudity. These are the fundamental three aspects to which every Indian is entitled under the Constitution. The word 'democracy' means a system thereby you provide the people of this country three essentialities for his survival. The question is : Are we capable of doing that justice to the poor people. What do you mean by socialism. It can be the definition of Gandhian socialism. It can be the definition of marxist socialism. It can be the definition of any party and any philosophy. So far as India is concerned, socialism is a system whereby that system works for the socialisation of the means of production of this country. That is the wealth of this country and that is called land. Nothing but land alone. Let us see with whom the land is lying within the total parametres of this country. Is it with the poor people who are under the poverty line and who constitute the dumb millions of our population. Mahatama Gandhai, Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi gave their lives for these poor people. Even today they continue to be disentitled from land. This report is all rihgt. But this report can do very litde for the upliftment and benefit of the poor people. Mahatama Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi have sacrified their lives and you see that the poor man is tilling the land not for his benefit, but for the benefit of others, until the poor man gets land, he will be getting no benefit* It is time that we redeem our pledge. Mahatama Gandhi said that he was standing for the poorest of the poor. 1 call it antyodays. Pandit Jawaharalal Nehru was mingling with the poor people travelling across the land rise cross among the poor to redeem this pledge. Shrimati Indira Gandhi sacrified her life at the altar of the poor people: Wehaveto redeem our pledge and we have to build that society.

[Shri K. Vasudeva Panickar] This country, this GovemnK nt and the people have to do one thing. They have to fight for the implementation of the Preamble of the Constitution. *{Time bell rings)* unless you are prepared to implement the constituional provision the Preamble of the Constitution and Article 46 of the Constitution, it does not carry any validity. Article 46 of the Constitution says that this article will stand for protection from exploitation and for social justice to the poor people, the down-trodden and the unde-*vlog* who are below the povc rty line and who constitute 40 per cent of our population. This Government has to struggle it. This is the only Government till now, under the leadership of Indira Gandhi for 16 years and under the leadership of Pandit Jawalialal Nehru for another 16 years, which strived and struggled for implementing the Prcmable and to provide the benefits gurantted in the Constitution to the poor people of this country. Nobody has done so.

Unfortunately, the system is too complex. The Indian economic system is a combination of the feudal system plus the emerging capitalist system. These two systems have come together and they have embraced each other in order to substantially plunder these poor poeple. what is the remedy so far as these people are concerned, the remedy is not simple at all. Is it simply to provide the reservation. I am for reservation. My party is for reservation our leader Shri Rajiv Gandhi, is for reservation. Indira Gandhi was for reservation. Pandit Jawaharlal was for reservation. My party will remain committed to the policy of reservation for the poor people. But reservation is not an all panacea. It. is only a small means for reducing the difficulties of the poor people. Then what are the remedies. The remedies are these : You have to restructure the present Land-owning system of this country. Land is not with the poor people. Land is with the rich people of this country , a few people whose number you can count on your own fingers like one. two, three, four and like that. After finishing a few dozens, you are not pointing to anybody. These few dozens ol people are the lords of the people; they are the holders of the land; thay are the owner of the a land. And it is they who are controlling the land of this country, and it is they who are depriving the poor people from the enjoyment of the provisions of the contitution, of the benefits of the Preamble to the Constitution. Remedy nu one is that you please restructure and take away the land from the landords and re-distribute it among the poor people and make it into a small fragments. And each fragment will be given to the poor people. Thus the poor man will be relieved from the clutches of the landlord and then social system will change. Then the remedy number two is that you go in for a total industrialisation of this country becatise two or three hundred years ago, before the British came to this country, before the ELITO-pean people came to this country as a result of the expansion of the capitalist system in Europe, India was not mainly an agrarian country; India was an industrial country. But in that country, the induatrial system was not of the big machines, but it was of small cottage industries. More than 60 per cent of the people of India were living some three hundred years back on the basis of small scale industrialisation. There was an industrialisation in India. Now, you have to rebuild,

THE VICE-CHAIRMAN SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: You have to conclude.

SHRI K. VASUDEVA PANICKAR : I am concluding. Now, you have to rebuild this country intoan egalitarian socialist society, into a democratic society whereby you are completely cutting away the land and splitting it and giving it to the poor pople and at the same time building up a net work of thousands of industries in tins country so that the people are employed in the industries, so that the Harijans, the

-poor people and the Adivasis and those people who are living under, the poverty level are redeemed from destitution.

I want to conclude with one more thing. I want a second Mahatma Gan-dhi, I want a second Jawaharlal Nehru I want a second Indira Gandhi in this country. I know, my leader, Rajiv Gandhi, who is looking to the 2 ist century's the only man who can be the second Mahatma of this country, he is the only man who can be the second Jawaharlal Nehru of this coun-try; he is the only man who can be the second Indira Gandhi of this country and who is totally dedicated for the redemption of the poor people. And it is that gentleman, that young leader of this country, and it is that Nehru family alone which is capable of redeeming these poor people and which is capable of taking this country to the prosperity of the 2ist century in order to stand before the entire totality of the nations of the world, a country which cannot be brow-beaten by anybody, a country which is socialist, which is egalitarian and which is democratic. Thank yor, Sir.

श्री फागुनी राम (बिहार) : मान्यवर, उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने इस मौके पर हमको बोलने का अवसर दिया इसके लिये हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । दूसरा, मंत्री बनने के साथ ही माननीया मंत्री महोदया ने एक अक्तूबर, 1985 को सभी हरिजन सांसदों को बुलाकर विज्ञान भवन में जो चर्चा की, उसके लिये भी वे धन्यवाद की पात्री हैं । महोदय, इतने दिनों के बाद हरिजन और अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में बहस करने का मौका दिया इसके लिये हम उनके प्रति और भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ।

महोदय, आजादी के पहले हरिजनों और आदिवासियों की हालत बहुत बदतर थी । आजादी के बाद महात्मा गांधी ने बहुत सारी जातियों को मिलाकर एक हरिजन नाम दिया और कई जातियों को मिलाकर आदिवासी नाम दिया । इस तरह से उन्होंने हरिजन एवं आदि-वासियों का बहुत बड़ा कल्याण किया । महोदय, आजादी के बाद, जमींदारी उन्मूलन से पहले हरिजन और आदिवासियों

5.00 P.M

का काफी शोषण होता था । हरिजन आदिवासियों का काफी शोषण होता था लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जमींदारी उन्मूलन कर के दूसरी बार, हरिजनों को शोषण से मुक्त किया गया । तीसरी बार हम स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एवं वर्तमान श्री राजीव गांधी जी को कभी नहीं भूला सकते, उनकी मोह ममता को भी ये वर्ग नहीं भूल सकते जबकि लोगों ने बीस सूत्री कार्यक्रमों में उनके सारे कार्यक्रमों को सम्मिलित कर के उन लोगों ने हरिजनों पर बड़ा ही उपकार किया । यह बहुत ही प्रशंसा की बात है क्योंकि उसके पहले हरिजनों के कल्याण की बात तो की जाती थी चाहे वह जमीन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे मजदूरी की बात हो लेकिन कानून बना देने इंसक्ट्रशन के देने के बाद उस पर कोई विचार नहीं किया जाता था । कोई रिव्यू नहीं किया जाता था कि इसके बारे में क्या प्रगति हुई है : लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम बनने के बाद

[श्री फागुनी राम]

इस पर रिव्यू होना शुरू हुआ है जिसमें बहुत कुछ प्रगति आई है । यह सही बात है कि जितनी प्रगति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई है लेकिन जहां पहले पूरे प्रखंड में कोई शिक्षित नहीं मिलता था अब कोई ऐसा गांव नहीं मिलता है जहां जहां कमोबेश हरिजन आदिवासी लोग पढे लिखे नहीं मिलें । यह प्रसन्नता की बात है । संविधान एवं सरकार की नीतियों के कारण ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हरिजनों को सुविधाओं के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है, किताब दी जाती हैं, छात्र-वास की व्यवस्था की गई है , वृद्धा-वस्था पेंशन की व्यवस्था है, सबसिडी है, इंडस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर के लिये लोन की व्यवस्था है जिसमें 60 से 80 परसेंट तक अनुदान दिया जाता है यह सारे इन लोगों के प्रयासों का ही फल है जिससे हरिजनों और आदिवासियों की दशा कुछ अच्छी हुई है लेकिन सदियों से दबें हुए सदियों से कुचले हुए इन बेचारों की हालत एकाएक अच्छी नहीं हो सकती है । इस लिये मैं अब कुछ आंकडों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 1981 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में 10.48 करोड़ अर्थात् 104.8 मिलियन कुल भारतीय हरिजन हैं जो कुल भारतीय आबादी का 15.75% है । राज्यों में हरिजनों की स्थिति इस प्रकार है । उत्तर प्रदेश में 22.39%, पश्चिम बंगाल 11.46, बिहार में 9.68, तमिलनाडू में 8.48% आन्ध्र प्रदेश में 7.6%, मध्य प्रदेश में 7.02%, राजस्थान में 5.57%, कर्नाटक में 5.34%, है । इस तरह से 8 राज्यों में हरिजनों की कुल आबादी का 77 5% लोग निवास करते हैं । इसमें मात्र हरिजनों के 16% लोग शहरो में निवास करते हैं और 84% लोग गांवों में निवास करते हैं । गांवों में निवास करने वाले राज्यों की स्थिति से मैं आपको अवगत कराता हूं । विभिन्न राज्यों में उनकी आबादी, हिमाचल प्रदेश में 74.64 प्रतिशत, त्रिपुरा में 93.76% बिहार, में 91.52%, उड़ीसा में 90.7% उत्तर प्रदेश में 89.54%, जम्मू-काश्मीर में 88.47%, केरल में 87.59%, पश्चिमी बंगाल में 87.59% और आन्ध्र प्रदेश में 84.81% है । इस तरह से हम देखते हैं कि यह लोग काफी देहातों में रहते हैं । 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के 48.22% लोग मजदूरी का काम करते हैं मुख्य रूप से वे खेतिहर मजदूर हैं । राज्यवार ब्यौरा लें तो वह इस प्रकार है बिहार में 72.88%, आन्ध्र प्रदेश में 68.24%, पंजाब में 60.03%, केरल में 48.08% हरियाणा में 51.28% पांडिचेरी में 73.95% हैं । इस तरह से हम देखते हैं उनकी अधिक आबादी देहातों में रहती है और वे देहातों में खेतिहर मजदूर हैं । इस प्रकार खेतिहर मजदूरों में उनकी हालत सुधारने के लिए सब से पहले यह बात होगी कि खेतिहर मजदूरों के लिए जो लाभकारी बातें हो उन पर हम लोग विचार करें । आप देखते हैं कि 1984 से यह मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हुआ और तब से सरकार का यह प्रयास रहा कि लोगों को मिनिमम वेजेज मिलें । कुल 16% को हम उन्नत कर दें और 84% लोगों को यदि उन्नत नहीं करते हैं तो उनकी माली हालत अच्छी नहीं हो सकती है । श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 19 जुलाई, 1980 एवं श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन 4–5 अगस्त, 1981 को पुनः हुआ । इसमें यह अनुशंसा की गयी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ न्यूनतम मजदूरी को जोड़ दिया जाये ताकि उपभोक्ता मूल्य बढने के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी बढती जाये और उसका स्वतः संशोधन होता चला जाये । उप-सभाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित की गयी है वह सभी राज्यों में समान रूप से निर्धारण की तरह मिल रही है या नहीं, यह भी एक जानकारी की बात होनी चाहिए । तीसरा, मजदूरों की दशा सुधारने के लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कृषि में विकास, प्रगति लायें क्योंकि जब तक कृषि में उत्पादन नहीं बढ़ेगा, कृषि में काम करने का अवसर नहीं मिलेगा तब तक उन मजदूरों को मजदूरी करने का अवसर नहीं मिलेगा । फलस्वरूप उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो

सकेंगे । आप जानते हैं कि आजादी के 38 वर्षों के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी रहने का मकान नहीं है । सचमुच में पूछें तो वे भी बंधुआ मजदूर की ही तरह हैं । जिनकी जमीन पर बसते हैं अगर उनकी इच्छा होती है कि हम अमुक व्यक्ति के साथ उसकी जमीन में बसे हैं, उनको छोड़कर जायें तो उन्हें कहा जाता है तुमको घर खाली करना पड़ेगा । इसलिए लाचारी में उनके घर मजदूरी करके उनको रहना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है । इसलिए में चाहूंगा कि जहां इस बात का पर्चा बीस सूत्री कार्यक्रम में बहुत लोगों को दिया गया है उसका सही कार्यान्वियन किया जाये और लोगों को उनके हक दिलाए जायें ।

अन्य बातों के अलावा एक बात और है । 68 परसेंट जो अत्याचार होते हैं उनका मुख्य कारण आज जमीन और मजदूरी की गड़बड़ी या उनके चलते दुश्मनी से है । अगर सीलिंग एक्ट के अनुसार फालतू जमीन हम हरिजनों के बीच बांट दें तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा । एक तो गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे दूसरा कृषि का उत्पादन बढ़ेगा और साथ-साथ बंधुआ मजदूरी की स्थिति से उबर जाने की स्थिति होगी ।

हरिजन बाहुल्य के क्षेत्र में जो दो तरह के अधिकारी रखे जाते हैं प्राथमिक रूप से शासन के, वे हैं एस. डी. ओ. कलेक्टर और एस.पी. (**समय की घंटी**) सरकार की यह नीति हो कि उनमें से कोई एक हरिजन आदिवासी बहुल क्षेत्र में उस वर्ग के लोगों में से हो ।

अब मैं आपका शिक्षा के क्षेत्र की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि शिक्षा के बारे में कहा गया है : "नास्ति ज्ञान समम चक्षु : तथा--

"बुद्धि यस्य बलम् तस्य निर्बुद्धेर्
कुतो बलम् ।"

शिक्षा के क्षेत्र मे यह बातें हैं । यह सही बात है कि आजादी के बाद से इन लोगों में शिक्षा की प्रगति आई है लेकिन आप आंकड़ें उठाकर देखें-- आपकी घंटी बज गयी है समय का अभाव है--आपके कमीशन की चतुर्थ रिपोर्ट में यह बात दी गयी है कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बहुत कमी है और कहीं-कहीं तो महिला शिक्षा एक पाइंट में वह परसेंटेज कम आता है, एक परसेंट से भी कम । शिक्षा में उन लोगों की कठिनाई क्या है ? शुरू में तो नाम लिखाते हैं लेकिन पांचवीं, छठवीं, सातवीं तक जाते जाते उन्हें पढाई छोड़ देने को बाध्य होना पड़ता है । उसके पीछे कारण मजदूरी और गरीबी है । इसलिए जो गांव के स्कूल होते हैं लोअर या मिडिल क्लास तक वहां तक तो शिक्षा पा जाते हैं उसके साथ-साथ दूसरे काम भी कर लेते हैं । लेकिन जब उन्हें गांव छोड़कर दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है तो जो वे बकरी चराने का काम करते हैं या जानवर चराने का काम करते हैं अथवा घर का अन्य कोई और काम करते हैं तो उससे मुक्त होकर उन्हें जाना पड़ता है और वहीं पर लाचारी होती है शिक्षा छोड़ देने की । जो एक अक्तूबर को वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट बांटी गई है उसमें माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उसमें यह बात है कि स्टाइपेंड की दर लोअर क्लासेज के लिए कम से 40 और 10वीं क्लास के लिए 200 रुपये का प्रस्ताव किया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि इसको लागू किया जाये ताकि बच्चों को पढ़ने में इनीशियेशन मिल सके । इसी कमीशन के चतुर्थ रिपोर्ट में अनुबंध 5 में दिया गया है विश्वविद्यालयों के बारे में, क्योंकि विश्वविद्यालयों में तो परसेंटेज का पूर्णतया अभाव है । यू०जी०सी० ने जो डाइरेक्शन दिया युनिवर्सिटीज को उसमें कहा कि प्रोफेसर्स और रीडर्स के पद पर कोई रिजरवेशन नहीं होगा लेक्चरर के पद पर रिजरवेशन होगा । मैं बिहार में रहने के नाते और टीचर होने के नाते उस जानकारी के आधार पर कहता हूं कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि लेक्चरर के रूप में उम्मीदवार

[श्री फागुनी राम]

नहीं मिलते क्योंकि कमीशन में रहने के चलते, इन्टरव्यू लेने का मुझे मौका लगा और हिंदी आदि ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं या जो चालू सब्जेक्ट हैं उनमें उम्मीदवार आते हैं यहां तक कि जो यू.जी.सी. का निर्धारित मापदण्ड है हाई सेकेण्ड क्लास, साढ़े 52 प्रतिशत और बी. ए. तक में किसी में सेकेण्ड डिवीजन चाहिए तो वैसे लोग आते हैं।

इसलिए उनकी नियुक्ति होनी चाहिए ताकि समानता आये। मैं साथ ही यह चाहूंगा, जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है शिक्षा के क्षेत्र में, वह स्टाइपंड समय पर नहीं मिलता, वह समय पर मिलना चाहिए। कभी कभी यह होता है कि जो दो साल का सत्र होता है, तो जब दो साल का समय व्यतीत हो जाता है, भुगतान किया जाता है, तब उन विद्यार्थियों को, चाहे वह हरिजन हों या आदिवासी हों, उनको छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाता है। फल यह होता है कि जो छात्रवृत्ति समय पर मिलनी चाहिए थी, जिसे वह अपनी किताब में खर्च करता, कापी के लिये खर्च करता, खाने में खर्च करता या और पढ़ाई में एफिसियेन्सी लाने के लिये जो कर सकता था, उसमें वह खर्च करता, जो कि वह बाद में नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि छात्रवृत्ति की रकम, जिसकी अनुशंसा है बढ़ाई जाय, यह बढ़ाई तो जाय ही, साथ ही समय पर भी मिले, इसको भी देखना चाहिए।

मैं कुछ और कहना चाहता हूं और वह यह बात है कि सन 1976 में जो इंस्टीट्यूट (परिनियम) बना, उसमें यह बात का कि सामान्य लोगों के लिये जहां निर्धारित हाईस्कूल 52.5 प्रतिशत था, वहां हरिजनों, आदिवासियों के लिये सेकेण्ड क्लास था, फिर 1980 में जो इंस्टीटयूट था, उसमें सामान्य के लिये वही 52.5 प्रतिशत रखा गया, लेकिन हरिजन और आदिवासियों के लिये भी कर दिया गया कि अगर साढ़े 52 प्रतिशत वाले हरिजन और आदिवासी का उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो 45 प्रतिशत में नियुक्ति तब होगी, जब कि चांसलर द्वारा, जो गवर्नर होते हैं, उससे एप्रूवल ले ली जायगी। इसके बाद जुलाई, 1985 से जो यू.सी.जी. रेगुलेशन बना, उसमें कोई रिजर्वेशन का नियम नहीं है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जब पढ़े-लिखे नहीं मिलते थे, तब यह था कि बहाली नहीं होती थी। अब जब पढ़े-लिखे लोग हैं, समान मापदण्ड के भी लोग हैं, जो समान योग्यता वाले लोग हैं किसी खास पद पर नियुक्ति के लिये, उस नियुक्ति को पाने वाले लोग भी हैं, तब उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, तदनुसार यह नियम में संशोधन करने चाहिएं और यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन का डाइरेक्शन यूनिवर्सिटीज को जानी चाहिए ताकि जो उम्मीदवार अयोग्य न हों, समान योग्यता रखते हों, उनकी नियुक्ति की जाये।

अन्त में मैं चाहूंगा चूंकि सरकार और आप हरिजनों और आदिवासियों के विकास के लिये काफी प्रयत्नशील हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और जो यह प्रगति की रफ्तार है, यह रफ्तार निकट भविष्य में और बढ़ सके ताकि वे लोग सामान्य लोगों की तरह सुखी और प्रतिष्ठा की जिन्दगी बिता सकें। जयहिन्द।

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice Chairman, Sir,....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU): Please try to conclude your speech within five minutes.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: This is very harsh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANTOSH KUMAR SAHU) : The time is vtry short.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH : I will try to be brief. Sir, the fact that we are considering these reports shows how serious

we are about this problem. Ever since our young and dynamic Prime Minister assumed office, he has been visiting various places. He did not visit only important places, but he has also gone to the look and corner of the country, to the huts of the poorer people. Her seen for himself the real situation prevailing. Having realised that the problems of the Scheduled Cast< 8 and Scheduled Tribes have all along been the ethos of our national movement, having realised that this was in the forefront of the freedom struggle und^r the leadership of Mahatma Gandhi, who gave predominance to it, having nalk that it is hightime that something should be done about, it, having realised that no useful purpose is being served by keeping it under the Home Ministry or any other Ministry,, be has created a new Ministry, an altogether separate Ministry has been created, namely, the Ministry of Welfare, under the charge of Dr. (Shrimati) Rajondra Kumari Bajpai. The choice is also indicative of the; emphasis that our young Prime Minis tor wants to give to this problem. Therefore, tl e criticism w' . been levelled, that we are considering these reports after five years, has evaporated when : find that this is bring tal, up seriously and considered. Without going into the ,r: port, to m , this problem is one of social, political and economic. It las bstn said in t'.is House in the last thr days' cl' bate that 25 per c< nt of tO population of this country is involv< d. It has also been said that 75 p rcent of landl' ss labour is involved. The question is of doing justice: to the und<rprivif gcd. But there-has been onv difficulty and that is, tl .e caste system itself was subjected to constant modifications because of practical necessities. It has not r> main d the same. A number of factors contributing to Social"' 1'actv'ardw ss are : caste, 1 illiteracy, p iv< rty, occupation,-eic. Now various factors that have been analysed in various forms in tl is House are : traditionally neglected classes, peer ec'u-caticn, inadequate political pever, poverty and last tut r.ot thf Jeaft-lack of white coller jots. Irctatly, these were the demands made by the various speakers during this debate.

Now, after Garidhiji took over the leadership, he gave rude shock to the rigidity of caste systi m in this country, tut the Ccrsiiluticn of India has provide d an altcgrtler changed ground. Remedies for social problems tave been piovided. Imbalance in socif ty cause d ty the caste system is sought to be corrected by doing justice to the deprived section of the society on the social, economic and political plane.

Articles 15(4), 16(4), 29(2) and part XVI deal with the various aspects of the matter.

The role played by caste in elections today is the main political problem which we have to consider seriously. Only a ftw leadership and organisations cut across caste loyalties. It is true that sociolo-gical, anthropological and political behaviour studies are carried cut to examine the impact of caste system of various types in the light of changed conditions in the country. It is because of the emergence of a new type of stratification in which caste and class are mixed up in an extricable tangle. The main thing which I want d to point cut is. unfortunately in our <Lcticrs, ir our body politic cast and class have b«-<n int(r-mixii g to fuel ar extent that the political sitvaticr in this country is b*cerrirj; irer and more ccmplicat> d *i* o, the t?fl of transforming the west rigicly stratifk d society in the wcr'd irtc: an egalitarian one: is ind" d diff-cult. *{Time bell rigtis).* I an conscious of the time. Ankle 33/ si .c vu that tie preferential tj'atrr rt ir political repres ntatkn is not a permanent feature of the Constitution,

[Shri Bir Bhadra Pratab singh'j Somebody in this House suggest ed that it should be indefinite period . It is unfortunate. I do not want to go into the history but somebody told me that prior to the framing of the Constitution in one of the meetings presided by Dr. Anibedkar, when somebody opposed reservation, he was bodily lifted and thrown out of the meeting. You will not find people like that now but you should not misunderstand that reservation is a permanent feature of our Constitution. Nobody in this august House, while talking of reservation has ever referred to article 335. Article 335 considers preference would be considered consistently with the maintenance of efficiency of administration. Of course, in the; white-collar jobs you must be provided an opportunity to come up but the efficiency has not be given a go-by—that is the purpose of article 335 of the Constituion. Therefore I will come to the solutions of the problem which have been suggested. I will simply mention these.

Firstly—I am coming to those three solutions that have been sug gested in this House—one was that there should be monitoring by a Parliamentary Committee. I think since Dr. Rajendra Kumari Bajpai has taken over this Ministry she will seriously creating consider such a Parliamentary Committee, which will time and again consider this and the performances will be accountable to that Committee which shall be reporting to this House.

Then somebody has also suggested that the review meetings between the Ministries and various Departments should be conducted frequently to analyse the actual progr; the work, because the criticism is that the Rxportof 1981 is coming in 1985. then where is the guarantee that you will not sleep over the matter tomorrow. So I suggest that such meetings should be held regularly.

Thirdly, many speakers have said that lot of funds have been created and it has gone waste. Why has it gone waste? Becuase proper monitoring was not done and the watch-dog interests were not created to look into whether the money has been properly spent or not before sanctioning any fresh expenditure. I think the past performance and expenditure should be reviewed first and then it should be done.

With these few words, Mr. Vice-chairman, since I am running out of time. I conclude.

श्री घनश्याम सिह : (उत्तर प्रदेश) : वाइस चेयरमैन महोदय, मुझे आपने अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के आयोग की रिपोर्ट पर बहस में भाग लेने का मौका दिया इस के लिये मैं आप का हृदय से आभारी हू ।

सर्व प्रथम तो मैं कल्याण मन्त्री जी को बधाई देना चहता हूं कि उन्होंने अपना मंत्रालय सम्हालने के बाद प्रथम सत्र में ही समाज के उस कमजोर वर्ग, जो सदियों से प्रताड़ित रहा है, गरीब रहा है और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरातियों के कारण पीड़ित होता चला आ रहा है और जिस के लिये अनुसूचित कमिश्नर एवं आयोग अपनी रिपोर्ट देते रहे हैं उन की समस्याओं पर विचार करने का अवसर हम लोगों को प्रदान किया है और इस के साथ ही सरकार द्वारा किये गये कार्यों की चर्चा करने का समय दिया है, जिसके लिये काफी समय से मांग चली आ रही थी। इसके लिये मैं आप को बधाई देता हूं और साथ ही इस लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले तीन दिनों से वह बराबर सदस्यों के सुझावों को सुन रही हैं और ऐसा लगता है कि अपने मंत्रालय के कार्यों को वे कुछ इस तरीके से करेंगी कि वास्तव में गरीब तबके को लाभ देने के लिये जो काम होंगे वह कुछ अमल में दिखाई पड़ने लगेंगे । तीसरे मैं इस लिये भी बधाई देता हूं कि मैं उन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं । वह और उन का पूरा परिवार नीचे के तबके को उठाने के लिये व्यक्तिगत रूप से प्रयास करता रहा

है और इस के लिये वे बधाई की पात्र हैं ।

आज सदन में इस बारे में जो चर्चा हो रही है यह उन लोगों को जो कहते हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, एक करारा उत्तर है कि सरकार ने जो कमिश्नर की रिपोर्ट है और जो जो काम हुए हैं उन सब को रख दिया है । तीन दिनों से इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं और यह अपने आप में एक सराहनीय कार्य है । मैं दो दिनों से अपने मित्रों के विचार इस सदन में सुन रहा हूं । हमारे एक मित्र श्री शंकर सिंह वाघेला, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जन जातियों के लिये कुछ नहीं करना चाहती है क्योंकि पिछले 38 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है । उन्होंने यहां तक भी कह डाला कि वह इस लिये उन के लिये नहीं करना चाहती है कि ये जातियां कभी उठ न सकें और कभी उन्नति नहीं कर सकें और वे कांग्रेस पार्टी को ही वोट देती रहें । वह इस समय उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अगर वे यहां होते तो मैं उन से पूछना चाहता था कि यदि पिछले 38 वर्षों में कांग्रेस के कार्यक्रम और उस के कार्यान्वियन को वे देखें तो उस में सब से अधिक जोर इन जातियों और गरीबों को ऊपर उठने के कार्य पर ही दिया गया है । और वह यह भी जानते हैं कि गरीब चाहे किसी जाति या मजहब का हो उस को सब से अधिक विश्वास भी स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी पर ही था । गरीब जानता था कि उस का भला जब भी होगा श्रीमती इन्दिरा गांधी और उन की पार्टी कांग्रेस द्वारा ही होगा । इसी लिये हिन्दुस्तान की गरीब जनता ने कांग्रेस को अपनाया है । मेरे दूसरे दोस्त श्री हुकमदेव नारायण यादव जी को भी मैंने सुना । वह अपना भाषण दे रहे थे । मैं जानता हूं कि वह गरीब लोगों के बीच में रहते हैं । बड़े अच्छे ज्ञाता भी हैं । लेकिन वह खराब बातें तो बहुत जोश से रखते हैं किन्तु जो अच्छे काम होते हैं वह नहीं बताते । इसमें उनका दोष नहीं है क्योंकि जिस पार्टी से वे आते हैं उसका दोष है । मैं पूछना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति यह है कि हरिजन या आदिवासी लोगों ने कोई तरक्की नहीं की है, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा ? क्या वास्तव में स्थिति यह है कि आज भी लोग उनके बराबर में बैठने को पसन्द नहीं करते हैं ? यदि इसका विश्लेषण करें तो मैं कहूंगा कि आज से 38 साल पहले जो स्थिति थी, उसमें काफी तरक्की हुई है ।

महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छूआछूत मिटाने के लिए सबसे आगे बढ़कर काम किया जिससे कि एक राष्ट्रीय चेतना लोगों में आई । उनके बाद राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इस कार्य को आगे बढ़ाया । परन्तु स्थिति यह है कि जो प्रथा सदियों से चली आ रही है, इसको समाप्त करने में समय लगेगा । श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन लोगों के पिछड़ेपन को पहचानकर योजनाएं बनाई और इनके लिए कार्य किया जिसमें 20 सूत्री कार्यक्रम भी है । मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं कि, जो कहते हैं कि कोई काम सरकार ने नहीं किया, तो अनुसूचित और जनजाति को रहने के लिए प्लाट, मकान किसने दिए हैं? भूमि की हदबंदी से जो अतिरिक्त भूमि मिली वह इन गरीबों में आबंटित किसने की है ? इन लोगों को कृषि योग्य भूमि जो मिली है, उसको पानी की सुविधा एवं विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता कौन दे रहा है ? आर्थिक विकास के लिए जो ऋण एवं अन्य चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं वह कौन करा रहा है ? बंधुवा मजदूरी से मुक्ति एवं उनके पुनर्वास कार्यक्रम ग्रामीण अंचल में न्यूनतम मजदूरी कौन तय कर रहा है । हरिजन बस्तियों में विद्याध्ययन और पेय जल की व्यवस्था कौन कर रहा है ? इनके बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता कौन दे रहा है ? नौकरियों में आरक्षण की नीति किसने अपनाई है? आरक्षण की बात पर मुझे याद आता है कि 1977–80 तक

[श्री घन श्याम सिंह]

यह ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि आरक्षण समाप्त हो रहा है, लेकिन आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने लोगों को आश्वस्त किया कि इसे समाप्त नहीं किया जा रहा है। श्री राजीव गांधी जी ने उस नीति को आगे बढ़ाया है। समाज के उत्पीड़न के लिए कानून किसने बनाए हैं? यदि इसका मैं चर्चा करूं तो माननीय सभाध्यक्ष महोदय, बहुत समय लगेगा। इसका एकमात्र उत्तर पूछा जाए तो दिखाई पड़ता है कि ये सब कार्य इस देश की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। उनके नेता आदरणीय जवाहरलाल जी और श्रीमती इंदिरा जी ने किए हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय राजीव गांधी जी कर रहे हैं।

[उपसभापति महोदया पीठासीन हुईं]

महोदया, मैं अपने परम आदरणीय नेता राजीव जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महसूस किया कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अनेक मंत्रालयों का सामंजस्य करना पड़ता था। इसलिए इसके लिए उन्होंने एक पृथक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय बनाया जिसका चार्ज माननीय मंत्री महोदया को दिया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं।

मैं कुछ बातें ऐसी कहना चाहता हूं जो वास्तविक हैं और हमारे कुछ विभाग इस प्रकार के हैं जिनसे इनका समाधान होना या इनको कार्यान्वित करना कठिन है क्योंकि इनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार इस आयोग को यहां इस विभाग को ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे इन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए ये उत्तरदायी हो सकें। 1981 की जनगणना के अनुसार इस जाति की संख्या लगभग 19 करोड़ है जो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन लोगों को नौकरियों में आरक्षण निश्चित कर रखा है। लेकिन देखने में आता है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियों में इनका प्रतिशत अधिक अच्छा नहीं हुआ। इस पर जोर देने की आवश्यकता है। लेकिन आरक्षण के बारे में मेरी व्यक्तिगत धारणा है मैं चाहता हूं कि अनुसूचित और जनजातियों के लिए यह आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक इनको समाज में ठीक स्थान न मिल जाए। इसके साथ ही जो भारत सरकार एवं प्राइवेट संस्थान हैं उनमें भी आरक्षण की सुविधाएं दिलाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। (समय की घंटी)।

उपसभापति महोदया, मैं अनुरोध करूंगा कि बहुत से लोगों को बहुत समय दिया गया है। मैंने अभी प्रारंभ ही किया है। परन्तु आरक्षण का लाभ इन जातियों के इन लोगों को कतई नहीं मिलना चाहिए जो लाभ उठा कर के सम्पन्न हो गये हैं। मैं इस बात से विशेषरूप से डिफर करता हूं जिससे कि इन्हीं जातियों के अन्य पिछड़े हुए लोगों को अवसर मिल सके। देखा यह जाता है कि आरक्षण का लाभ उठाने का मौका उसी के परिवार को मिल जाता है। वह बेचारा गरीब का बच्चा जिस को कोई सुविधा नहीं होती वह बराबरी पर नहीं आ पाता। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस तरह से आप विचार करें कि जो आरक्षण का लाभ लेकर सम्पन्न हो गये हैं उनको न देकर उन्हीं जातियों के अन्य लोगों को दीजिए जो सम्पन्न नहीं हुए हैं। अगर ऐसा करेंगे तो इससे तो उस जाति को उठाने में ज्यादा आसानी होगी।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि समाज से गरीबी हटाने, इनके आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिये, अन्य सुविधाएं देने के लिए किसी न किसी दिन विचार करना होगा । रिपोर्ट में कहा गया है हरिजनों के ऊपर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं । मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस बारे में जो लोगों ने रोष भी प्रकट किया है । कहा है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं सुविधाएं देने के बाद भी । लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि पहले बेचारा यह कमजोर वर्ग इतना दबा हुआ था कि किसी अत्याचार की रिपोर्ट लिखाने में सक्षम नहीं था । आज उसके बच्चे पढ़-लिख गये हैं और वे आज अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके कारण रिपोर्टिंग सिस्टम में कुछ तब्दीली आ गई है और वे अब मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं । आंकड़ों से दिखाई देता है कि अत्याचार बढ़ गये हैं । वास्तविकता यह है कि उस आदमी में कांग्रेस शासन के दौरान में इतनी शक्ति आ गई है कि जो कोई अत्याचार करने वाला होता है वह उसका मुकाबला करना चाहता है । इससे भी एक चेतना दिखाई देती है । इससे लगता है कुछ तरक्की हुई है ।

मैं एक बात कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनको ये बिचौलिये, बीच के आदमी, कर्मचारी, अधिकारी, उन तक नहीं पहुंचने देते पूरी मात्रा में । आवश्यकता इस बात की है कि आप कोई ऐसा प्रावधान करें कि इन बिचौलियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को कठोर से कठोर दंड दिया जा सके । ग्रामीण आंचल में भूमि पर कब्जा दिलाने में कहीं कहीं कठिनाई आई है । समाज के ठेकेदार लोग दिलाई जा रही भूमि पर किसी न किसी तरह अड़ंगा डाल देते हैं इसलिए कोई कानून बना कर यह दंडनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए ।

इन लोगों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह समय पर नहीं मिल पाती । बहुत से विद्यालय बीच में ही छात्रवृत्ति हजम कर जाते हैं । ऐसे विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं, प्रधानाचार्य से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है । इन जातियों में जो सबसे मलीन काम करता है वह बाल्मीकि कहलाता है । उसको ऊपर उठाने के लिए कोई अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी । देखने में आता है कि इस जाति को आपकी योजनाओं से इतना लाभ नहीं मिला है जितना अन्य लोगों को । यह सत्य है कि इन जातियों में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी बहुतायत में काम करती हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाइये जो सबसे गिरा हुआ हरिजन है उसको ऊपर उठाने की कुछ योजना हो । इससे उन्हें लाभ होगा ।

हमारे मित्रों ने कुछ सुझाव दिए हैं उन पर विचार करें ... कार्रवाई करें । मैं अधिक न कहते हुए अनुरोध करूंगा कि आपकी योजनाएं सभी ठीक हैं उनमें जो भी आप और वृद्धि कर दें वह भी इस समाज की पुरानी स्थिति को उबारने के लिए कम हैं । लेकिन एक बात अवश्य कर दें कि जो आपकी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से हो तब ही यह वर्ग अपने पैरों पर खड़ा होगा । साथ ही अत्याचार के मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने की आवश्यकता है । यदि हम जातिविहीन समाज की रचना करना चाहते हैं तो हमें विचार करना है कि समाज में वह चेतना पैदा करें जिससे इन लोगों को और ऊंचा कहे जाने वालों के बीच शादी-विवाह के रिश्ते कायम हों । तभी जातिविहीन समाज की कल्पना को पूरा कर सकते हैं । अन्त में मैं सरकार द्वारा इन जातियों के कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यक्रमों की सराहना करता हूं क्योंकि कार्यक्रमों से अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कल्याण हो सकता है । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHARIMAN : Now, the further discussion and the reply by the Minister will be taken up tomorrow.